तुलसीराम सहदु सूर्यवंशी एवं अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

क्रिमीनल अपील नं. 507 आफ 2008

सितम्बर 14, 2012

{पी. सदाशिवम और रंजन गोगोई, जे.जे.},

दण्ड संहिता, 1860 एस.एस. 302/34, 304बी/34 और 498ए/34 दहेज के लिए वैवाहिक घर में एक विवाहित महिला की हत्या, परिस्थितिजन्य साक्ष्य-ट्रायल कोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों, अर्थात मृतका के पति और उसके माता पिता को दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-पति की एसएलपी पहले ही खारिज कर दी गई- उसके माता-पिता द्वारा अपील-निर्णीतः चिकित्सा साक्ष्य समर्थित अभियोजन मामला-III- तीनों आरोपियों द्वारा मृतक के साथ किया गया व्यवहार साबित किया गया, बरामदगी साबित हुई परिस्थितियां एक श्रृंखला का निर्माण करती है जो कि एक चश्मदीद गवाह की कहानी से भी अधिक मजबूत ओर इसलिए, अपीलकत्ताओं की दोषसिद्धि पूरी तरह से न्यायोचित है - साक्ष्य अधिनियम, 1872 एसएस 1 106 और 114।

अपीलकर्ता-दम्पत्ति और उनके बेटे (ए-3) पर अपनी बहू ए-3 की पत्नी के साथ र्दुव्यवहार करने, दहेज की मांग पूरी न करने और उसके हाथ पैर बांधकर कुंए में डुबोकर हत्या करने के लिए मुकदमा चलाया गया। ट्रायल कोर्ट ने तीनों आरोपियों को अंतर्गत धारा 302/34, 304बी/34 और 498ए/34 के तहत दोषी ठहराया और प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा ए-3 द्वारा दायर एसएलपी खारिज कर दी गई।

अपील खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित कियाः

1. 1 यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ताओं (ए-1 और ए-2) की दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। शरद बिरधीचंद सारदा के मामले में, इस न्यायालय ने पहले के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करते हुए प्रतिपादित किया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी आरोपी के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित करने से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों को तैयार किया।

शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1985 (1) एससीआर 88 (1984) 4 एससीसी 116-पर भरोसा किया गया।

1.2 इस तत्काल मामले में पहली परिस्थिति जिस पर अभियोजन ने भरोसा किया वह यह है कि तीनों आरोपियों ने मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया। पीडब्लू.-1 (मृतका के पिता) के साक्ष्यों के अवलोकन से पता चलता

है कि उसकी बेटी के साथ उसकी शादी की तारीख से केवल 5 महीने की अवधि तक अच्छा व्यवहार किया गया और उसके बाद, सभी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर और पर्याप्त भोजन नहीं देकर दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि ए-3, जो तत्समय पर ड्राइवर, के रूप में कार्यरत था, ए-1 और ए-2 के कहने पर जीप खरीदने के लिए 50,000/- रुपये की मांग कर रहा था। पीडब्लू-2 जिसने ए3 के साथ मृतक के विवाह में मध्यस्थ के रूप में काम किया, ने शिकायत दर्ज की (प्रदर्श 26) और मृतक के साथ उसके वैवाहिक घर में हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। उसने ही पुलिस को सूचना दी कि मृतक का शव कुएं में तैरता हुआ देखा गया है, उसने बताया कि सभी 3 आरोपी एक साथ रह रहे थे और उसका घर उनके घर से 2 किलोमीटर दूरी पर था। उसने यह भी बताया कि सभी आरोपी मृतक से 50,000/- रुपये की मांग करते थे और उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी करते थे, पीडब्लू 1 और 2 के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि तीनों आरोपियों ने मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया। (पैरा 9-11) (1092-डी-ई, एच 1093-ए-बी, सी-ई)

1.3 अभियोजन पक्ष द्वारा जिस दूसरी परिस्थिति पर बहुत अधिक भरोसा किया गया वह आरोपी के घर और उस कुएं की दूरी है जिसमें मृतका का शरीर तैरता हुआ पाया गया था। यह पीडब्लू -2 ही था, जिसने सबसे पहले मृतक के शव को कुएं में देखा और पुलिस में शिकायत दर्ज

की। उसने कथन किया कि ए-3 एक अन्य के साथ उनके घर आया और मृतक के लापता होने की सूचना दी और उसके बारे में पूछताछ की। इसके बाद पीडब्लू-2 ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पूरी रात उसकी तलाश शुरू की। उसने यह भी कथन किया कि जब उसने कुएं के पास जाने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने उसे ऐसा करने से रोका। अगले ही दिन जब पीडब्लू-2 ने मृतका की ओर खोज की तो उसे अपने भतीजे से पता चला कि मृतका का शव कुएं में पडा हुआ था और शव देखने के बाद उसने शिकायत दर्ज की। पीडब्लू-2 का यह दावा कि उसे आरोपियों द्वारा कुएं के किनारे जाने से रोका गया था, पूरी तरह से एक और परिस्थिति स्थापित करता है जो दर्शाता है कि सभी आरोपी मृतका की मौत के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा, ए-1 और ए-2 के समर्थन और सहायता के बिना, अकेले ए 3 के लिए मृतका को कुएं तक ले जाना संभव नहीं होगा जो उनके घर से 400 फीट की दूरी पर है। (पैरा 12) (1093-एफ-एच, 1094-ए-सी)

1.4 एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति जिस पर अभियोजन पक्ष ने भरोसा किया और साबित किया वह यह है कि कुएं में फेंकते समय मृतक के पैर और हाथ बंधे हुए थे। पीडब्लू-1 ने कथन किया कि जब मृतक का शव कुएं से निकाला गया तो उसने देखा कि मृतक के हाथ और पैर साड़ी के बॉर्डर से बंधे हुए थे। उन्होंने आर्टिकल संख्या 5, 6 और 7 जो कि उस साड़ी के बॉर्डर के टुकड़े थे, जिससे मृतक के हाथ और पैर बंधे थे, साबित किया। इस तथ्य को पीडब्लू-2 के साक्ष्य से भी बल मिला और शव का

पोस्टमार्टम (प्रदर्श 35) करने वाले डॉक्टर पीडब्लू- 6 ने भी इसका समर्थन किया। पीडब्लू-6 ने आगे राय दी कि हाथ-पैर स्वयं पीडिता द्वारा बांधना संभव नहीं था। उसने यह भी राय दी कि मौत डूबने से हुई थी। पीडब्लू 1, 2 और 6 के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक के पैर और हाथ साड़ी के बॉर्डर से बांधे हुए थे। यह भी साक्ष्य में आया है कि अकेले ए. 3 के लिए घर में मौजूद ए-1 और ए-2 की सहायता के बिना हाथ पैरो को बांधना संभव नहीं था। (पैरा 13-14) (1094-सी-ई, जी-एच, 1095-ए-सी)

1.5 अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अन्य परिस्थिति पर भरोसा किया गया और साबित किया गया वह साड़ी के बॉर्डर की बरामदगी है जो साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसे ज्ञापन के पंच गवाह पीडब्लू-7 द्वारा स्थापित किया गया था। उसने कथन किया कि उसे पंचनामा की रिकॉर्डिंग के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था। पीडब्लू-7 ने प्रदर्श 40 को उक्त उद्देश्य के लिए बनाया गया रिकार्ॅडेड पंचनामा के रूप में साबित किया, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसने ए-2 द्वारा साड़ी का बॉर्डर पुलिस को सौंपने के बारे में भी बताया। पुलिस ने साड़ी के बॉर्डर की जब्ती का पंचनामा दर्ज किया और पीडब्लू-7 ने उसमें अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किए। पीडब्लू 7 के साक्ष्य के अलावा, इलाके के एक अन्य निवासी से पीडब्लू-5 के रूप में पूछताछ की गई, जिसने बताया कि शव को उसकी उपस्थिति में कुएं से बाहर निकाला गया था और उसने देखा कि मृतक के हाथ और पैर साड़ी के लाल रंग के बार्डर से बंधे हुए थे। पुलिस ने उसकी

मौजूदगी में पूछताछ की। उसने ज्ञापन प्रदर्श 29 पर भी हस्ताक्षर किये। पीडब्लू-1, पीडब्लू-2, पीडब्लू-6 (डॉक्टर, जिसने पोस्टमार्टम किया) पीडब्लूएस 5 और 7 (पंच गवाह) के साक्ष्य से और साक्ष्य की धारा 27 के सिद्धांतों के आलोक में अधिनियम, यह स्थापित किया गया है कि एक भौतिक वस्तु, अर्थात, मृतक के पैर और हाथ बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साड़ी के बार्डर को सही ढंग से पहचाना और चिह्नित किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उस पर सही ढंग से भरोसा किया गया है और नीचे की अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है। पीडब्लू 5 और 7 दोनों के साक्ष्य के तथ्यों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं जो कि एक्सटेंशन संख्या क्रमशः 29 और 401 है। (पैरा 15-17) (1095-डी-ई, एफ-एच, 1096-ए, 1097-सी-डी)

अन्तर सिंह बनाम राजस्थान राज्य (2004) 10 एससीसी 657-2004 (2) एससीआर 123

1.6 अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि प्रासंगिक समय पर मृतका सभी तीनों आरोपियों के साथ रह रही थी। इस प्रकार अपीलकर्ता, उनका बेटा-ए 3 और मृतक घर के एकमात्र रहने वाले थे और इसलिए, अपीलकर्ताओं पर यह दायित्व था कि वे अपने अपराध के बारे में किसी भी संदेह से बचने के लिए कुछ स्पष्टीकरण दें।

1.7 ये सभी तथ्य निश्चित रूप से निस्संदेह परिस्थितियाँ हैं जो एक चश्मदीद गवाह की कहानी से भी अधिक मजबूत श्रृंखला का निर्माण करती हैं और इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि अपीलकर्ताओं की सजा पूरी तरह से न्यायोचित है (पैरा 18) (1097-एफ)

2.1 यह स्थापित विधि है कि तथ्य की उपधारणा साक्ष्य विधि में एक नियम है कि एक अन्यथा संदिग्ध तथ्य का अनुमान कुछ अन्य सिद्ध तथ्यों से लगाया जा सकता है। जब साबित तथ्यों के अन्य सेट से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है, तो अदालत तर्क की प्रक्रिया अपनाती है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचती है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के अनुसार यह स्थिति मजबूत हुई है। यह अदालत को किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मानने का अधिकार देता है जिसके घटित होने की संभावना उसे लगती है। उस प्रक्रिया में, न्यायालय को मामले के तथ्यों के अलावा प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के क्रम का सामान्य का ध्यान रखना होगा। (पैरा19), (1097-जी-एच; 1098-ए-बी)

2.2 इन परिस्थितियों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित सिद्धांतों का भी उपयोग किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा का उद्देश्य अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने के बोझ से राहत देना नहीं है, बल्कि

यह उन मामलों पर लागू होगा जहां अभियोजन उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है, जिनसे उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में, जब तक कि अभियुक्त ऐसे तथ्यों के संबंध में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर, कोई स्पष्टीकरण देने में विफल न हो, जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित कर सके। (पैरा 19)   (1098-बी-डी)

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर, (2000) 8 एससीसी 382-2000 (2) Suppl. एससीआर 712 पर निर्भर

3. मौजूदा मामले में, इस अदालत को जांच में कोई गंभीर खामी नहीं मिली जो मामले को प्रभावित कर सकती हो। दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष ने स्वीकार्य साक्ष्य रखकर सभी परिस्थितियों को स्थापित किया है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

केस कानून संदर्भः

1985 (1) एससीआर 88 relied on पैरा 5

2004 (2) एससीआर 123 referred to पैरा 17

2000 (2) Suppl. एससीआर 712 relied on पैरा 19

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 507/2008

सीआरएल , अपील संख्या 238/2005 में बॉम्बे के न्यायिक न्यायालय, औरंगाबाद की खंडपीठ के निर्णय और आदेश दिनांक 09.04.2007 से

अपीलकर्ताओं की ओर से हरिंदर मोहन सिंह, शबाना।

प्रतिपक्ष की ओर से शंकर चिलार्जे, आशागोपालन नायर।

न्यायालय का निर्णय पी. सदाशिवम, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. इस अपील को 2005 की आपराधिक अपील संख्या 238 में बॉम्बे के उच्च न्यायालय औरंगाबाद की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 09.04.2007 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ, जिसके तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यहां अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

2. संक्षिप्त तथ्य।

(ए) वर्तमान अपील अहमदनगर के कर्जत जिले के चंदा तालुक के निवासी आशाबाई की मृत्यु से संबंधित है। उसकी शादी यहां आरोपी नंबर 3 नितिन तुलसीराम सूर्यवंशी से हुई थी। (इस आरोपी के संबंध में विशेष अनुमति याचिका 02.11.2007 को पहले ही खारिज कर दी गई है) तुलसीराम सहदु सूर्यवंशी (ए-1) और सिंधुबाई सूर्यवंशी (ए-2) ए-3 के माता-पिता है। प्रासंगिक समय पर, ए-3 ड्राईवर के रूप में काम कर रहा था।

(बी) संपत माधवराव सूर्यवंशी (पीडब्लू-2) मृतक के पिता किसान भानुदास सुले (पीडब्लू-1) के रिश्तेदार और उक्त विवाह के मध्यस्थ थे। 28.02.2003 को, आशाबाई का शव सरजेराव सूर्यवंशी के कुएं में तैरता हुआ पाया गया, जिसके दोनों पैर और हाथ साडी के बार्डर से बंधे हुए थे। पीडब्लू 2 ने उपरोक्त घटना के संबंध में अपीलकर्ताओं के खिलाफ कर्जत पुलिस स्टेशन, अहमदनगर में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें एक जीप की खरीद के लिए 50,000/- रूपये की मांग को पूरा करने के लिए मृतक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया।

(ग) दिनांक 28-02-2003 को उक्त शिकायत के आधार पर उक्त थाने में आकस्मिक मृत्यु क्रमांक 3 सन् 2003 एवं विवेचना उपरांत अपराध क्रमांक 24 सन् 2003 दर्ज किया गया।

(डी) आरोप पत्र दाखिल करने के बाद, मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और 2004 के मामले संख्या 102 के रूप में क्रमांकित किया गया 03.08.2004 को 5 में तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय किए। धारा 302, 498-ए भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 34 के साथ पठित फिर, 28.09.2004 को, अपीलकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा-34 के साथ पढी जाने वाली धारा 304-बी का अतिरिक्त आरोप भी तय किया गया।

(ई) आदेश दिनांक 10.01.2005 द्वारा, 5वें तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास सहित उपरोक्त विभिन्न शीर्षकों के तहत कठोर कारावास की सजा सुनाई और सभी सजाएं एक साथ चलने लगी।

(एफ) व्यथित होने के कारण, अपीलकर्ताओं ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की आपराधिक अपील संख्या 238 के रूप में अपील की। आक्षेपित आदेश दिनांक 09.04.2007 द्वारा, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सत्र न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर की अपील को खारिज कर दिया।

(जी) उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति के माध्यम से यह अपील दायर की है।

3. अपीलकर्ता अभियुक्तों के लिए विद्वान न्याय मित्र श्री हरिंदर मोहन सिंह और प्रतिवादी राज्य की ओर से विद्वान वकील श्री शंकर चिल्लार्ज को सुना गया।

4. अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि पर कोई विवाद नहीं है। डी ए-1 और ए-2 परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, इसलिए, हमें देखना होगा कि

अभियोजन पक्ष ने कहां तक श्रृंखला स्थापित की है और अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्यः

5. शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116 में, इस न्यायालय ने पहले के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करने के बाद, किसी आरोपी के खिलाफ मामला पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया। परिस्थितिजन्य साक्ष्य परः-

(1) वे परिस्थितियाँ जिनके आधार पर दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकलता है, वे पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने इंगित किया है कि संबंधित परिस्थितियों को स्थापित ‘‘किया या होना‘‘ चाहिए ना की स्थापित ‘‘की जा सकना, चाहिए। ‘‘साबित किया जा सकता है’’ तथा साबित साबित किया या होना चाहिए’’ इनके बीच न केवल व्याकरणिक बल्कि कानूनी अंतर है, जैसा कि शिवाजी साहबराव बोबड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था. जहां टिप्पणियां की गई थी। (एससीसी पैरा 19, पी. 807 एससीसी क्रि. पी. 1047)

निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले केवल दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और ‘हो सकता है‘ और ‘होना चाहिए‘ के बीच

की मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षो से विभाजित करती हैं।

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए. अर्थात् उन्हें किसी ''अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियों निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर कर देना चाहिए जिसे सिद्ध किया जाना हो, और

(5) साक्ष्यों की एक श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छूटे और यह दर्शाया जाए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. ये पांच सुनहरे सिद्धांत, अगर हम ऐसा कह सकते हैं, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले को साबित करने के पंचशील का गठन करते हैं।

6. इन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष द्वारा दर्शाई गई परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया।

7. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतका के ए 3-पति और ए 3 के ए-1 और ए-2- माता-

पिता ने जीप खरीदने के लिए, क्योंकि ए3 एक ड्राईवर था, 50,000/- रुपये की अभियुक्तगण द्वारा की गई मांग पूरी न होने के कारण मृतका के हाथ और पैर को साड़ी के बॉर्डर से बांधकर कुएं में फेंककर उसकी हत्या कर दी। मृतक के पिता को पीडब्लू-1 के रूप में परीक्षित किया गया। पीडब्लू-2 ने मृतका की शादी ए3 के साथ किये जाने के समझौते में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। डॉक्टर, जिसने मृतका का शव परीक्षण किया था, को पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में परीक्षित किया गया।

8. अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया वे हैः-

i) सभी आरोपियों ने मृतक के साथ दुव्र्यवहार किया;

ii) जिस कुएँ से मृतक का शव बरामद किया गया वह घर से 400 फीट की दूरी पर स्थित है।

iii) मृतक के पैर और हाथ साड़ी के बॉर्डर से बंधे हुए थे और

iv) साड़ी के उक्त बॉर्डर की बरामदगी

9. किसन भानुदास सुले (पीडब्लू-1) के पिता मृतक ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मृतका आशाबाई उनकी इकलौती बेटी थी और उसकी शादी ए3 में हुई थी। ए1 और ए-2, ए3 के माता-पिता हैं। उसके मुताबिक शादी के बाद आशाबाई आरोपी के साथ रहने चली गई और पांच महीने की अवधि में उसके साथ ठीक-ठाक व्यवहार किया लेकिन उसके बाद उन्होंने

मारपीट कर और पर्याप्त भोजन न देकर उसके साथ दुव्र्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने यह भी कथन किये कि ए-3, जो ए-1 और ए-2 की शह पर था, जीप खरीदने के लिए 50,000 रुपये की मांग कर रहा था। उसके अनुसार सुसंगत समय पर ए 3 एक ड्राइवर के रूप में नियोजित था तथा पीडब्लू- 1 को जब भी उससे मिलने उसके घर जाता तब आशाबाई ने मांग के साथ-साथ दुर्व्यवहार का भी खुलासा किया था। जब पीडब्लू-1 सक्रांत के अवसर पर अपनी बेटी को अपने घर लाया, तो उसने उसे सूचित किया कि वह अपने वैवाहिक घर वापस नहीं जाएगी क्योंकि उसके पति ने उसे 50,000/- रुपये के बिना वापस नहीं जाने की धमकी दी थी। पीडब्लू-1 के साक्ष्य के अवलोकन से पता चलता है कि उसकी बेटी आशाबाई के साथ उसकी शादी की तारीख से 5 महीने की अवधि तक ही अच्छा व्यवहार किया गया था और उक्त अवधि के बाद, उन सभी ने उसके साथ मारपीट करना और पर्याप्त भोजन न देकर उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में तीनों आरोपियों पर यह कथन करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने दुव्र्यवहार करना शुरू कर दिया

(10) पीडब्लू-2, जिसने मृतका की ए-3 से शादी में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, ने शिकायत (प्रदर्श 26) दर्ज कराई और वैवाहिक घर में मृतका के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में बताया। उसने ही पुलिस को सूचित किया कि मृतक आशाबाई का शव सरजेराव सूर्यवंशी के कुएं में तैरता हुआ देखा गया था। उक्त सूचना के आधार पर दिनांक 28.02.2003

को सायं 4.15 बजे क्रमांक 3 सन् 2003 पर आकस्मिक मृत्यु दर्ज की गई। जांच के बाद और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श 35) के आधार पर, कर्जत थाने से जुड़े पुलिस निरीक्षक शिंदे (पीडब्लू-8) ने 2003 के अपराध संख्या 24 पर आईपीसी की धारा 302 और 498-ए सपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत मामला दर्ज किया गया। पीडब्लू-2 ने यह भी कहा है कि सभी तीनों आरोपी एक साथ रह रहे थे और उनका घर उसके घर से दो किलोमीटर की दूरी पर है। उसने कथन किया कि वह मृतका और ए3 के बीच विवाह सम्पन्न कराने में मध्यस्थ था। उसने यह भी अभिकथित किया कि शादी के 4-5 महीने तक मृतका के साथ अच्छा व्यवहार किया गया और उसके बाद सभी आरोपियों ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने यह भी कहा कि सभी आरोपीगण उससे 50,000/- रुपये की मांग करते थे और उसके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार भी करते थे।

11. पी.डब्ल्यू. 1 और 2 की साक्ष्य से, पहली परिस्थिति यह है कि सभी 3 आरोपियों ने मृतका के साथ दुर्व्यवहार किया, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है और ट्रायल कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा इस पर सही ढंग से भरोसा किया गया है और स्वीकार किया गया है।

12. अभियोजन पक्ष द्वारा जिस दूसरी परिस्थिति पर बहुत अधिक भरोसा किया गया वह आरोपी के घर और उस कुएं के बीच की दूरी है जिसमें मृतक का शरीर तैरता हुआ पाया गया था। पीडब्लू-2 ने ही सबसे

पहले मृतक के शव को कुएं में देखा और पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। पीडब्लू-2 ने कहा कि ए-3 और प्रहलाद उसके घर आए और आशाबाई (मृतका) के लापता होने की सूचना दी और पूछताछ की कि क्या वह उसके घर आई थी। इसके बाद, पीडब्लू-2 ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसके ठिकाने की पुष्टि करने के लिए पूरी रात उसे खोजना शुरू किया। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने कुएं के पास जाने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उन्हें सरजेराव सूर्यवंशी नामक व्यक्ति के कुएं के पास जाने से रोका। आगे पता चलता है कि अगले दिन, जब पीडब्लू-2 ने आशाबाई की और खोज की, तो उसे अपने भतीजे से पता चला कि आशाबाई का शव कुएं में पड़ा हुआ था और शव देखने के बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पीडब्लू 2 का यह दावा कि उसे आरोपियों द्वारा कुएं के पास जाने से रोका गया था, पूरी तरह से एक और परिस्थिति स्थापित करता है जो दर्शाता है कि सभी आरोपी मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा, ए-1 और ए-2 के समर्थन और सहायता के बिना, मृतक को अकेले ए-3 से 400 फीट की दूरी पर स्थित कुएं तक ले जाना संभव नहीं होता।

13. अभियोजन पक्ष द्वारा एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति जिस पर भरोसा किया गया और साबित किया गया वह यह है कि कुएं में फैंकते समय मृतका के पैर और हाथ बंधे हुए थे, पीडब्लू-1 ने अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि, पीडब्लू-2 की शिकायत के आधार पर वैवाहिक घर में उसकी अनुपस्थिति का पता चलने के बाद मृतका के शव को लकड़ी की

खाट के माध्यम से कुएं निकाला गया। उसने देखा कि, आशाबाई के हाथ-पैर साड़ी के बॉर्डर से बंधे हुए थे। पीडब्लू-1 ने आर्टिकल संख्या 5, 6 और 7 को उस साड़ी के बार्डर के टुकड़ों के रूप में साबित किया जिससे मृतका आशाबाई के हाथ और पैर बंधे थे। इस तथ्य को पीडब्लू-2 के साक्ष्य से भी बल मिलता है। अपने भतीजे से जानकारी मिलने के बाद कि आशाबाई का शव सरजेराव के कुएं में पड़ा हुआ था, पीडब्लू 2 ने सत्यापन के बाद पुलिस को शिकायत की और उसी के कारण पुलिस मौके पर आई और आगे की औपचारिकताएं की। उसने आगे बताया कि उसके हाथ और पैर कसकर बंधे हुए थे। हाथ और पैर साड़ी के बॉर्डर से बंधे हुए थे... ''उसने यह भी पुष्टि की कि आशाबाई के हाथ और पैर बंधे हुए शरीर को देखने के बाद वह कर्जत पी.एस गया और उसमें शिकायत दर्ज कराई।

14. मृतका के पैरों और हाथों को साड़ी के बॉर्डर से बांधने के बारे में पीडब्लू-1 और 2 की साक्ष्य के अलावा डॉ. राजश्री पगारिया (पीडब्लू-6) जिसने पोस्टमार्टम (प्रदर्श 35) किया था मृतक के शव पर पाया गया कि निचले अंगों और टखने के जोड़ों को एक साड़ी के टुकड़े के माध्यम से बांधा गया था और ऊपरी अंग कलाई के जोड़ पर कपड़े से कसे हुए पाए गए। उन्होंने आगे कहा कि हाथ-पैर बांधना पीड़िता द्वारा स्वयं संभव नहीं था, उन्होंने बताया कि बाहरी चोटें मृत्यु पश्चात और जलीय चोटें थीं। उसके पेट में करीब 200 मिलीलीटर पानी पाया गया। बड़ी आंत में मल पदार्थ पाया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि मौत डूबने से हुई है। पीडब्लू 1, 2

और 6 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतक के पैर और हाथ साड़ी के बॉर्डर से बंधे हुए थे। यह भी साक्ष्य में आया है कि घर में मौजूद ए1 और ए2 की मदद के बिना अकेले ए-3 के लिए दोनों पैर और हाथ बांधना संभव नहीं था। यह भी देखा गया है कि तीन आरोपियों और मृतकों को छोड़कर कोई भी उनके घर में नहीं रहता था।

15. अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अन्य परिस्थिति पर भरोसा किया गया और साबित किया गया वह साड़ी के बार्डर की बरामदगी है जो साक्ष्य का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसे अमृत अखाडे (पीडब्लू -7)- ज्ञापन के लिए पंचगवाह, द्वारा साबित किया गया था। पीडब्लू 7 ने अपने साक्ष्य में कहा कि 05.03.2003 को उसे थाना कर्जत में पंचनामा की रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया गया था। उसने आगे बताया कि सभी आरोपी वहां मौजूद थे और ए-2 ने उनके सामने बयान दिया कि सभी आरोपियों ने मृतका के पैर और हाथ बांध दिए और उसे कुएं में फेंक दिया। बयान दर्ज करने के बाद, पुलिस ने ए-2 के अंगूठे का निशान और पीडब्लू-7 के हस्ताक्षर लिए। उसके मुताबिक, उसने यह भी खुलासा किया कि जिन कपड़ों से हाथ-पैर बांधे गये थे वह उसे दे देगी। पीडब्लू-7 ने प्रदर्श 40 को कथित प्रयोजन के लिए रिकाॅर्ड किया गया पंचनामा के रूप में साबित किया जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त पंचनामे का अन्य पंच हनुमंत शैल्के था और उसे भी यह पंचनामा पढ़कर सुनाया गया था। उसने आगे बताया कि वह, पुलिस और एक अन्य पंच के साथ, पुलिस जीप में सिंदुबाई (ए-2) की बस्ती में गए

थे। सिंधुभाई (ए-2) ने पुलिस से जीप रोकने के लिए कहा और फिर उसने साड़ी का बॉर्डर सौंप दिया जो एक छप्पर (ऊपरी भाग) में रखा हुआ था। पुलिस ने साड़ी के बार्डर की जब्ती का पंचनामा दर्ज किया और पी.डब्ल्यू. 07 ने भी उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

16. पीडब्ल्यू-7 की साक्ष्य के अलावा, दादा एस. सूर्यवंशी निवासी रहकुरी ताल, कर्जत, जिला अहमदनगर की परीक्षा पीडब्ल्यू-6 के रूप में की गई। अपनी गवाही में उसने बताया कि उसकी मौजूदगी में लकड़ी की खाट की मदद से शव को कुंए से बाहर निकाला गया था। उसने देखा कि मृतका के हाथ-पैर साड़ी के लाल रंग के बार्डर से बंधे हुए थे। पुलिस ने उसकी मौजूदगी में पूछताछ की। उसने उस ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किये जो प्रदर्श पी-29 है। उसने इस बात से इंकार किया कि संपत और अन्य व्यक्तियों ने कुंए में उतरकर मृतका के हाथ-पैर-बांधे और फिर शव को बाहर निकाला।

17. इस न्यायालय ने अंतर सिंह बनाम राजस्थान राज्य डी (2004)10 एससीसी 657 में अभिनिर्धारित किया है कि भले ही पंच गवाह मुकर जाए, लेकिन जब्ती करने वाले व्यक्ति की साक्ष्य दूषित नहीं होगी। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 तथा उसके दायरे पर विचार करने के बाद इस न्यायालय ने पालन किए जाने वाले निम्नलिखित सिद्धांतों की गणना की ।

16. धारा की विभिन्न आवश्यकताओं को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

(1) जिस तथ्य का साक्ष्य देने की मांग की गई है वह विवाद्यक के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। यह ध्यान में रखना होगा कि प्रावधान की प्रासंगिकता के प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। खोजे गए तथ्य की प्रासंगिकता को अपराध से जोड़ने वाले अन्य सबूतों की प्रासंगिकता से संबंधित तथ्य के अनुसार स्थापित किया जाना चाहिए ताकि खोजे गए तथ्य को स्वीकार्य बनाया जा सके।

(2) तथ्य का पता चल गया होगा।

(3) यह खोज अभियुक्त से प्राप्त कुछ जानकारी के परिणामस्वरूप हुई होगी, न कि अभियुक्त के स्वयं के कृत्य से।

(4) सूचना देने वाला व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त होना चाहिए।

(5) वह पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए।

(6) हिरासत में किसी आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप किसी तथ्य की खोज को उजागर किया जाना चाहिए।

(7)इसके बाद जानकारी का केवल वह भाग जो खोजे गए तथ्य से स्पष्ट रूप से या कठोर रूप से संबंधित है, साबित किया जा सकता है। बाकी अस्वीकार्य है।

पी0 डब्ल्यू-1, पी0 डब्ल्यू-2, पी0 डब्ल्यू-6 डाक्टर, जिसने पोस्टमार्टम किया, पी0 डब्ल्यू-5 और पी0 डब्ल्यू-7 पंच गवाहों की साक्ष्य से और ऊपर बताए गए सिद्धांतों के प्रकाश में, हम सन्तुष्ट हैं कि वस्तु सामग्री अर्थात, मृतक के पैर और हाथ बांधने के लिए उपयोग में ली गई साड़ी के बार्डर को सही ढंग से पहचाना और चिन्हित किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उस पर सही ढंग से भरोसा किया गया है और नीचे की अदालतों द्वारा स्वीकार किया गया है। पीडब्ल्यू 5 और 7 दोनों की साक्ष्य ज्ञापन की सामग्री का पूरी तरह से समर्थन करते हैं जो कि प्रदर्श संख्या क्रमशः 29 और 40 है।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि प्रासंगिक समय पर, मृतका सभी तीनों आरोपियों के साथ रह रही थी। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ता, उसका बेटा ए-3 और मृतका मात्र ही घर में रहने वाले थे और इसलिए अपीलकर्ताओं पर यह दायित्व था कि वे अपने अपराध के बारे में किसी भी सन्देह से बचने के लिए कोई स्पष्टीकरण दें। ऊपर उल्लेखित सभी कारक निस्संदेह परिस्थितियां है जो एक चश्मदीद गवाह के बयान से भी अधिक मजबूत श्रृंखला का निर्माण करती है और इसलिए हमारी राय है कि अपीलकत्ताओं की सजा पूरी तरह से उचित है।

19. यह स्थापित विधि है कि तथ्य की उपधारणा साक्ष्य विधि में एक नियम है कि अन्यथा संदिग्ध तथ्य का अनुमान कुछ अन्य सिद्ध

तथ्यों से लगाया जा सकता है। सिद्ध तथ्यों के अन्य सेट से किसी तथ्य के अस्तित्व का अनुमान लगाते समय, न्यायालय तर्क की प्रक्रिया अपनाता है और सबसे संभावित स्थिति के रूप में तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचता है। उपरोक्त स्थिति साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के प्रकाश में मजबूत होती है। यह न्यायालय को किसी भी तथ्य के अस्तित्व को मानने हेतु सशक्त बनाता है जिसके घटित होने की संभावना उसे लगे। उस प्रक्रिया में न्यायालयों को मामले के तथ्यों के अलावा प्राकृतिक घटनाओं, मानव आचरण आदि के सामान्य घटनाक्रम का भी ध्यान रखना होगा। इन परिस्थितियों में, भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में सन्निहित सिद्वांतों का भी उपयोग किया जा सकता है। हम यह स्पष्ट करते है कि इस धारा का उद्द्वेश्य अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त सन्देह से परे आरोपी के अपराध को साबित करने के बोझ से राहत देना नहीं है बल्कि यह ऐसे मामलों में लागू होगा जहां अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को साबित करने में सफल रहा है, जिनसे कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के संबंध में युक्तियुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जब तक कि आरोपी ऐसे तथ्यों के बारे में अपने विशेष ज्ञान के आधार पर, कोई स्पष्टीकरण देने में विफल नहीं हुआ, जो अदालत को एक अलग निष्कर्ष निकालने पर मजबूर कर सकता है। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मोहम्मद उमर (2008) 8 एससीसी, 382 सी में निम्नलिखित अवलोकन को उद्धृत करना समीचीन है।

'38 विवियन बोस, जे. ने बताया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, कुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए बनाई गई है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए कुछ तत्वों को स्थापित करना असंभव होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में है। शंभु नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य में विद्वान न्यायाधीश ने कानूनी सिद्धांत इस प्रकार बताया गया है:

> "यह सामान्य नियम बताता है कि एक आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है और धारा 106 का उद्द्धेश्य निश्चित रूप से उसे उस कर्तव्य से मुक्त करना नहीं है। इसके विपरीत इसे कुछ असाधारण मामलों को पूरी करने के लिए डिजाईन किया गया है जिससे यह साबित होगा कि अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या किसी भी दर पर बेहद मुश्किल होगा जो विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में है और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है।"
>
> शब्द "विशेष" का मतलब ऐसे तथ्य है जो प्रमुख या असाधारण रूप से उसकी जानकारी में है।"

20. उपरोक्त सिद्धांतों के प्रकाश में, वर्तमान मामले में, हमें जांच में कोई गंभीर खामी नहीं मिली है जिससे मामले पर असर पड़ा हो। दूसरी

ओर, हम इस बात से संतुष्ट है कि अभियोजन पक्ष ने स्वीकार्य साक्ष्य रखकर सभी परिस्थितियों को स्थापित किया है। हम इस बात से भी सन्तुष्ट है कि श्रृंखला पूरी हो गई है और ए-1 और ए-2 की भागीदारी और सहायता के बिना, ए-3 अकेले मृतक के हाथ और पैर को साड़ी के बार्डर से बांधकर कुएं में नहीं फेंक सकता था जो उनके घर से 400 फीट की दूरी पर है।

21. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में, हम विचारण न्यायालय और उच्च न्यायलय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत है, परिणाम स्वरूप अपील विफल हो जाती है तथा अपील खारिज की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अर्चना गुप्ता, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-02 द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।